रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] दिल्ली, सोमवार, फरवरी 6, 2017/माघ 17, 1938 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 344
No. 37] DELHI, MONDAY, FEBRUARY 6, 2017/MAGHA 17, 1938 [N.C.T.D. No. 344

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

आदेश

दिल्ली, 1 फरवरी, 2017

फा. सं. 7/78/एडीएलबी/श.वि./2016/627–29.—(1) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (यथासंशोधित) की धारा 116 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल चतुर्थ नगर मूल्यांकन समिति (यहां बाद में ''समिति'' के रूप में उल्लिखित) का गठन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:–

1.	श्री जी.एस. पटनायक, आईएएस, एजीएमयूटी–1980 (सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष
2.	सुश्री शिप्रा मैत्रा	सदस्य
3.	अतिरिक्त आयुक्त, दक्षिण दिल्ली नगर निगम में संपत्ति कर विभाग के प्रभारी	सदस्य

2. अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य पूर्णकालिक सेवा प्रदान करेंगे और वे उस तारीख से जब से वे कार्यभार संभालते हैं, समिति का कार्यकाल समाप्त होने तक अपने पद पर बने रहेंगे।

3. समिति के कार्य निम्नलिखित होंगे:–

(क) दिल्ली नगर निगम को दिल्ली के किसी भी वार्ड में खाली भूमि और भवनों को कॉलोनियों और भू–समूहों और भवनों में वर्गीकरण से संबंधित मामलों पर निगम को सिफारिश करना तथा खाली भूमि के प्रति इकाई क्षेत्रफल मूल्य या भवनों के आच्छादित स्थान का प्रति इकाई क्षेत्रफल के आधार मूल्य का निर्धारण तथा इसमें वृद्धि करने या कमी करने या वृद्धि न करने या कमी न करने के कारक ;

(ख) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (यथासंशोधित) की धारा 116ग के अधीन आपत्तियों पर विचार करना तथा उनकी सिफारिश करना, तथा

(ग) ऐसे सभी कार्यों का निष्पादन जो सरकार द्वारा अपेक्षित हो।

4. समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते इत्यादि दिल्ली नगर निगम (नगर मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें) नियमावली, 2003 के अनुसार निर्धारित किये जायेंगे।

5. समिति कार्यकाल छह माह का होगा जिसमें वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

6. दक्षिण दिल्ली नगर निगम आवश्यक आधारभूत संरचना तथा सचिवालय सहायता उपलब्ध करायेगी तथा समिति के कार्यों के लिये अपेक्षित व्यय को पूरा करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

पवन चौपड़ा, उप–निदेशक (स्थानीय निकाय)

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

ORDER

Delhi, the 1st February, 2017

1. **No. F.7/78/ADLB/UD/2016/627-29.—**In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 116 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (as amended), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to constitute the Fourth Municipal Valuation Committee (hereinafter referred to as "Committee") consisting of the following:-

1.	Shri G.S. Patnaik, IAS, AGMUT-1980 (Retd)	-	Chairperson
2.	Ms. Shipra Maitra	-	Member
3.	Additional Commissioner, In-charge of the Property Tax Deptt. in South DMC	-	Member

2. The Chairperson and other members shall render full-time service to the Committee and shall hold office from the date on which they respectively assume their office up to the closure of the term of the Committee.

3. The functions of the Committee shall be –

a) to make recommendations to the Municipal Corporation of Delhi on matters relating to classification of vacant lands and buildings in any ward of Delhi into colonies and groups of lands and buildings and fixation of base value per unit area of vacant land or per unit area of covered space of building and factors for increase or decrease, or for no increase or decrease, thereof;

b) to consider objections under section 116 C of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (as amended) and to make recommendations thereon, and

c) to perform such other function as the Government may require.

4. The salaries, allowances etc. of the Chairperson and Members of the Committee shall be determined as per Delhi Municipal Corporation (Conditions of Service of the Chairperson and Members of the Municipal Valuation Committee) Rules, 2003.

5. The tenure of the Committee shall be six months within which it shall submit the report.

6. The South Delhi Municipal Corporation of Delhi shall provide necessary infra-structure and Secretariat support and meet the required expenditure for the functioning of the Committee.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

PAWAN CHOPRA, Dy. Director (Local Bodies)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.02.08 14:19:39 +05'30'